



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-13032026-270922  
CG-BR-E-13032026-270922

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 1244]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

रेल मंत्रालय  
(पूर्व मध्य रेलवे)  
अधिसूचना

पटना, 27 फरवरी, 2026

**का.आ. 1301(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) कि अधिसूचना संख्या का० 2517 (अ), तारीख 31 मई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् हजारीबाग-बानादाग दोहरीकरण (6 किमी) निर्माण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लिए अर्जित करने के लिए लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय कि घोषणा कि थी।

उक्त अधिसूचना का सारांश, उक्त अधिनियम कि धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् प्रभात खबर (हिन्दी) एवं टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी) तारीख 19 जून 2025, में प्रकाशित किया गया था और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है:

उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

**अनुसूची**

झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, हजारीबाग-बानादाग दोहरीकरण (6 किमी) निर्माण के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

जिले का नाम हजारीबाग							
क्र. सं.	ग्राम का नाम	प्लॉट/ सर्वे सं.	सम्पूर्ण/ आंशिक	भूमि का प्रकार	भूमि कि प्रकृति	प्रभावित /अर्जनाधिन रकबा (हे०)	भूमि के मालिक / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
तहसील : कटकमदाग							
1	बानादाग	1647	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0091	राजेश्वर गोप पिता तिलक गोप वा मुकेश गोप पिता कैलेश्वर गोप
2	बानादाग	1650	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0142	गोपाल प्रसाद पिता दहन महतो
3	बानादाग	1651	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0091	उमराव कोयरी वल्द बोधी कोयरी
4	बानादाग	1653	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0152	बंधन प्रसाद पिता अन्तु महतो
5	बानादाग	1658	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0121	बासुदेव महतो पिता कैलेश्वर नारायण महतो
6	बानादाग	1663	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0055	श्रीमती पारो देवी पति फुदन महतो
7	बानादाग	1665	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0111	बिसुन महतो पिता अनहच महतो
8	बानादाग	1667	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0111	धरम महतो जगन महतो वो हिरामन महतो वो जीतन राणा पिता गोपी राणा
9	बानादाग	1668	आंशिक	रैयती	टाड़	0.0051	गिरधारी महतो पिता डोमा कोयरी
<b>कुल</b>						<b>0.0925</b>	

[फा. सं. डीसीई/कॉन/एचजेडएमई/ हजारीबाग-बानादाग]  
रामाश्रय पाण्डेयए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 27th February, 2026

**S.O. 1301(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), notification S.O. 2517 (E), dated the 05 May, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the propose execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project “Hazariabag-Banadag Doubling (6 Km)” as Special Railway Project in the State of Jharkhand.”

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Prabhat Khabar (Hindi) The Times of India (English), dated the 19th June, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act,

And, whereas, no objections was received and the same have been considered/disallowed by the competent authority accordingly orders have been passed;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Special Railway Project in Hazaribagh District of the State of Jharkhand, namely, The brief details of land to be acquired for construction of "Hazaribag-Banadag Doubling (6 Km)" as Special Railway Project in the State of Jharkhand with or without structures are as follows:

Sl. No.	Name of village	Plot/Survey No.	Affected plot (Full/Partial)	Type of Land	Nature of Land	Affected Area (Hec.)	Name of the Land Owner/ Interested Persons)
<b>Tehsil: Katkamdag</b>							
1	Banadag	1647	Partial	Raiyati	Upland	0.0091	Rajeshwar Gop, father Tilak Gop or Mukesh Gop, father Kaileshwar Gop
2	Banadag	1650	Partial	Raiyati	Upland	0.0142	Gopal Prasad, father Dahan Mahto
3	Banadag	1651	Partial	Raiyati	Upland	0.0091	Umrao Koiri, father Bodhi Koiri
4	Banadag	1653	Partial	Raiyati	Upland	0.0152	Bandhan Prasad, father Antu Mahto
5	Banadag	1658	Partial	Raiyati	Upland	0.0121	Basudev Mahto, father Kaileshwar Narayan Mahto
6	Banadag	1663	Partial	Raiyati	Upland	0.0055	Smt. Paro Devi, wife of Fudan Mahto
7	Banadag	1665	Partial	Raiyati	Upland	0.0111	Basun Mahto, father Anhach Mahto
8	Banadag	1667	Partial	Raiyati	Upland	0.0111	Dharam Mahto, Jagan Mahto, Hiramn Mahto and Jeetan Rana, father Gopi Rana
9	Banadag	1668	Partial	Raiyati	Upland	0.0051	Girdhari Mahto, father Doma Koiri
<b>Total</b>						<b>0.0925</b>	

[F. No. DCE/Con/HZME/Hazaribag-Banadag]  
RAMASHRAY PANDEY, CAO/Con.